

मध्य प्रदेश में संचार सेवा काक क्षेत्रों के लिये धनराशि का नियंत्रण

1602. श्री गंगाधरन होश्रित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में मध्य प्रदेश में दूर संचार तथा डाक सेवाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) इस राशि में से मध्य प्रदेश के घोषित पिछड़े जिलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) गत वर्ष तथा चाणू वर्ष में पिछड़े जिलों के विकास के बारे में विभाग ने क्या मानदंड अपनाया ; और

(घ) क्या राज्य में असंतुलन को समाप्त करने के विचार से इन क्षेत्रों के लिए धनराशि के नियंत्रण को प्राथमिकता देने के बारे में मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सचिव को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत और और अनुदेश दिये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :
(क) वर्ष 1975-76 के दौरान विकास के लिए मध्य प्रदेश सचिव के लिए नियत की गई रकम का ब्योरा इस प्रकार है :—

डाक सेवाएँ :—14.47 लाख रुपये

दूर संचार सेवाएँ :—482 लाख रुपये

(ख) पिछड़े जिलों के विकास पर खर्च की गई रकम इस प्रकार है :—

डाक सेवाएँ :—1.47 लाख रुपये ।

दूरसंचार सेवाएँ : 252 लाख रुपये

(ग) और (घ) :—डाक सेवाएँ: समाप्त पिछड़े इलाकों में विभिन्न व्यक्तियों को डाकघर खोले जा सकते हैं। क्या :

(1) 1,000 रुपये वार्षिक षट्टे की स्वीकार्य सीमा पर (सकिलों के मध्यमों की शक्तियों के अंतर्गत) और 2500 के रुपये वार्षिक कार्य सीमा पर (डाक-तार महा निदेशक की शक्तियों के अंतर्गत) जब कि सामान्य देहाती इलाकों के लिए उन मामलों में जहाँ की धारादी 2000 से अधिक है 750 रुपये वार्षिक की अधिकतम सीमा और उन मामलों में जहाँ की धारादी 2000 से कम हो 500 रुपये वार्षिक की अधिकतम सीमा तक खोले जाते हैं ।

(2) जनसंख्या के संबंध में कोई प्रति-बन्ध नहीं है ।

(3) लागत की कम से कम 15 प्रति-शत धामदनी पर जब कि सामान्य इलाकों के लिए लागत की 25 प्रतिशत धामदनी निर्धारित है ।

डाक सुविधाओं के विस्तार से के उद्देश्य से विभाग ने मध्य प्रदेश के बहुत अधिक इलाकों को अत्यंत पिछड़े इलाके घोषित किये हैं । और वहाँ अधिक से अधिक डाकघर खोले जा रहे हैं । मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में अधिक से अधिक गाँवों में रोखाना डाक बाँटने की व्यवस्था की भी जा रही है ।

दूर संचार : धामदनी पर दूरसंचार सेवाएँ आवश्यकता के अनुसार दी जाती हैं बशर्ते कि उन के प्रस्ताव साफ़ कर हों । इन सेवाओं में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार, ट्रंक एक्सचेंजों का खोलना/विस्तार करना, नई लाइनें/तारों का निर्माण औरियर प्रणालियों की स्थापना, तार सकिटों/तारघरों की व्यवस्था करना

घादि शामिल हैं। किन्तु वास्तविक रूप में उन सेवाओं की व्यवस्था करना साज सामान और वित्तीय साधनों तक सीमित है। देश के देहाती इलाकों में दूर संचार सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से कुछ घाटा होने के बावजूद सार्वजनिक टेलीफोन घर और तार घर खोलने के लिये एक उदार नीति अपनाई जा रही है। इसके लिए स्थान का महत्व जैसे कि वह कोई जिला/उपमंडल/तहसील/खंड मुख्यालय हो, मौजूदा टेलीफोन एकमब्लॉकों से उस की दूरी उस स्थान की जन सख्या कि उस स्थान का स्थानीय महत्व जैसे कि पर्यटन / तीर्थ स्थान, बिजली / सिंचाई परियोजना स्थल घादि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य इलाकों में उपयुक्त श्रेणी के स्थानों में टेलीफोन / संयुक्त डाक तार घर सुविधाओं की मंजूरी के लिए जहां यह शर्त है कि उस की न्यूनतम अनुमानित ग्रामदना उसके वार्षिक आवश्यक व्यय के 25 प्रतिशत भाग के बराबर होनी चाहिये वहां पिछड़े इलाकों के लिए ग्रामदनी वार्षिक आवश्यक व्यय के 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के लिये 10 प्रतिशत के बराबर रखी गई है।

भारत द्वारा विदेशों में इस्पात सर्वश्री की स्थापना

1603. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या इस्पात और ज्ञान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत द्वारा विदेशों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हा. तो किन-किन देशों में और उनमें से प्रत्येक में कितनी-कितनी टिंक बचाये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और ज्ञान मंत्रालय में उपश्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) विदेशों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन बहुत से दूसरे देशों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों/इस्पात के लघु संयंत्रों की स्थापना से सम्बन्धित परामर्शी, रूपांकन तथा इंजीनियरी कार्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

चन्द्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह की स्मृति में डाक टिकटें जारी किया जाना

1604. श्री भगीरथ शंकर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चन्द्रशेखर आजाद और शहीद भगतसिंह की स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर बहाल शर्मा) : श्री चन्द्रशेखर आजाद के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव फिल्लैटनी सलाहाकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ पेश कर दिया जायेगा। शहीद भगतसिंह के सम्मान में 20 पैसे मूल्य वर्ग का एक डाक टिकट उनकी 61वीं जयन्ती पर 19 अक्टूबर, 1968 को पहने ही निकाला जा चुका है।

Requirement of D.T.C. Buses

1605. SHRI VEKARIA
SHRI ARVIND M. PATEL:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment about the requirement of D.T.C. Buses for resettlement colonies in the Union Territory of Delhi;

(b) if so, the number of buses required to link these areas with important business centres; and